अंक 32 । संख्या 8 । अगस्त 2025

सर्वे भवन्तु सुखिनः

मानव अधिकार

न्यूज़लेटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भुवनेश्वर, ओडिशा में शिविर बैठक

// मानव अधिकार
न्यूज़लेटर
अंक 32 । संख्या 8 । अगस्त 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगी
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुनः प्रकाशित कर सकते हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में शिविर बैठक और जन सुनवाई का आयोजन

विषय-वस्तु

मासिक विवरण
3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

प्रतिवेदन
5 भुवनेश्वर में शिविर बैठक
7 हैदराबाद में शिविर बैठक

परामर्श
9 'कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

लेख
11 मानव अधिकारों का विकास और वन अधिकारियों की भूमिका
13 भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह में एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यन का संबोधन

15 **महत्वपूर्ण हस्तक्षेप**
16 स्वतः संज्ञान
17 राहत के लिए सिफारिशें
18 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
19 केस स्टडीज

क्षेत्र का दौरा
20 एनएचआरसी, भारत के सदस्य का दौरा
21 विशेष मॉनिटरों का दौरा

क्षमता निर्माण
22 भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए मानव अधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
24 ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम
25 कार्यशालाएं
26 ज्ञानार्जन दौरे

26 **अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी**
27 **राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार**
30 **संक्षिप्त में खबर**
35 **आगामी कार्यक्रम**
35 **जुलाई, 2025 में शिकायतें**

▶ एनएचआरसी, भारत का हैदराबाद, तेलंगाना में शिविर बैठक और जन सुनवाई का आयोजन

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC
RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त, जनता की न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिविर बैठकें आयोजित करता है। इसका उद्देश्य मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु शिकायतकर्ताओं की सुनवाई उनके अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में करना है। मामलों के समाधान के अलावा, ये बैठकें अधिकारियों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने का काम करती हैं। आयोग द्वारा 2007 से विभिन्न राज्यों में ऐसी शिविर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, ये शिविर बैठकें वरिष्ठ अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, मानव अधिकार संरक्षकों और मीडियाकर्मियों के साथ मानव अधिकारों के मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करती हैं।

> शिविर बैठकें अधिकारियों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने का काम करती है।

जुलाई के महीने में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने भुवनेश्वर, ओडिशा और हैदराबाद, तेलंगाना में ऐसी दो शिविर बैठकें आयोजित कीं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी ने भुवनेश्वर में 144 और हैदराबाद में 109 मामलों की सुनवाई की और पीड़ितों को राहत के रूप में कुल 77.65 लाख रुपये की सिफारिश की।

मामलों के निपटान के अलावा, अधिकारियों को सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में शीघ्र निर्णय लेने में सहायता के लिए समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बारे में भी याद दिलाया गया। आयोग के परामर्शों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति की समीक्षा की गई।

नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों को मानव अधिकारों के हित में सुधार हेतु आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मुद्दों को आयोग के ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय मीडिया प्रतिनिधियों ने दोनों शिविर बैठकों के अपने कवरेज के माध्यम से, आयोग के हस्तक्षेपों के बारे में मानव अधिकार साक्षरता और जागरूकता फैलाने को और गति दी। वास्तव में, मीडिया दूर-दराज के क्षेत्रों में मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की रिपोर्टिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1993 में अपनी स्थापना के बाद से ही, आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत सुनिश्चित करने के लिए कई मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट लोगों के लिए जागरूकता का एक साधन भी हैं कि वे किस प्रकार के मुद्दों के निवारण के लिए एनएचआरसी से संपर्क कर सकते हैं। इस न्यूज लैटर की प्रमुख रिपोर्ट इन दोनों शिविर बैठकों पर केंद्रित हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग को बढ़ावा देता रहता है। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मुद्दों को मुख्यधारा में लाने को प्रोत्साहित करता है ताकि इन समस्याओं के समाधान हेतु उपाय सुझाए जा सकें। इसी क्रम में, आयोग ने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 'कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने में सहयोग दिया। यह हाल के दिनों में आयोग द्वारा समर्थित दूसरी संगोष्ठी थी। इसने

लैंगिक हिंसा से निपटने और महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित एवं समावेशी सार्वजनिक एवं व्यावसायिक स्थल बनाने हेतु संस्थागत सहयोग बढ़ाने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग करना, आयोग द्वारा पिछले वर्ष की गई एक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवा अधिकारियों को मानव अधिकारों के बारे में अत्याधुनिक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता प्रदान करना है। आयोग ने 17 से 18 जुलाई, 2025 तक देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के लिए एक और विशेष रूप से अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन किया।

अपने उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने युवा अधिकारियों को मानव अधिकारों के ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की जानकारी दी। उन्होंने संक्षेप में, साइरस के चार्टर, मैग्ना कार्टा, अधिकार विधेयक, अमेरिकी संविधान संशोधनों, फ्रांसीसी क्रांति से लेकर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) तक की वैश्विक प्रगति पर प्रकाश डाला।

मुझे 'भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु संस्थागत ढाँचे' पर उन्हें संबोधित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके मूल में देश के सभ्यतागत मूल्य निहित हैं, जो सहानुभूति, करुणा, अहिंसा और गरिमा को बढ़ावा देते हैं। सच्ची जनसेवा में स्थायी प्रभाव पैदा करना, समावेशिता सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय शासन को न्याय एवं समता के संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़ना शामिल है। कानून के शासन के माध्यम से मानव अधिकारों को संरक्षण में एकीकृत करना एक संवैधानिक आदेश और नैतिक ज़िम्मेदारी दोनों है। ऐसे प्रशिक्षण मॉड्यूल युवा अधिकारियों को स्थानीय और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हुए वनों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करने में उपयोगी हैं। न्यूज़लेटर में अन्य क्षमता-निर्माण पहलों के साथ-साथ इस सहयोगात्मक प्रशिक्षण पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है।

न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA), देहरादून में आयोजित भारतीय वन सेवा (IFS) के परिवीक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह में एक विचारोत्तेजक भाषण भी दिया। यह भाषण न्यूज़लेटर के इस संस्करण में शामिल है।

चिकित्सा जगत में नीम-हकीमी ने कई अनजान मरीजों की जान ले ली है। हाल ही में, आयोग की जाँच में मध्य प्रदेश के दमोह स्थित मिशन अस्पताल में एक ऐसे जालसाज़ का पर्दाफ़ाश हुआ जो खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बता रहा था। अपनी जाँच के बाद, आयोग ने राज्य सरकार और केंद्र दोनों को कई सिफ़ारिशें जारी कीं, जिनमें नकली डॉक्टरों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई। इस मामले का विस्तृत विवरण न्यूज़लेटर के " महत्वपूर्ण हस्तक्षेप" खंड में प्रकाशित किया गया है।

ग्रामीण समुदायों के कल्याण के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो सरकारी एजेंसियों और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं। वे दूरदराज के इलाकों में बच्चों और माताओं को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आयोग इन अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रत्यक्ष बातचीत और स्थानीय दौरों के माध्यम से नज़र रखता है और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अलावा, राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) भी मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश के संस्थागत ढाँचे का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। यह जानकर खुशी होती है कि एसएचआरसी भी मानव अधिकार उल्लंघनों के मुद्दों और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रहे हैं। इस संस्करण में छह एसएचआरसी की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर रिपोर्ट दी गई है।

जुलाई में चार सप्ताह के ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी) का भी समापन हुआ, जिसमें 80 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में समाज को समझने और उस पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता को पहचानने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। कार्यक्रम का समापन इस समझ के साथ हुआ कि सफलता केवल कौशल से ही नहीं, बल्कि चरित्र, संवेदनशीलता, मूल्यों और अच्छे कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता से भी परिभाषित होती है। आशा है इस अंक में एसआईपी और अन्य क्षमता-निर्माण पहलों पर रिपोर्टें पढ़ने में रोचक और ज्ञानवर्धक साबित होंगी।

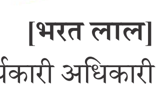

[भरत लाल]

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिवेदन

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत समय-समय पर अपने संबंधित राजधानियों में 'शिविर बैठकों' के दौरान विभिन्न राज्यों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की 'जन सुनवाई' करता है। इसका उद्देश्य शिकायतकर्ताओं और संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों की उपस्थिति में इन मामलों की सुनवाई करना है ताकि पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए निर्देश दिए जा सकें और न्याय में तेजी लाई जा सके। दूसरा उद्देश्य राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऐसी बैठकों के दौरान इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करना है ताकि उन्हें उनके सुशासन उपायों के एक हिस्से के रूप में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। उन्हें मामलों को शीघ्रता से निपटाने में मदद करने के लिए आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में तेजी लाने की भी सलाह दी जाती है, जिससे मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत मिल सके

आयोग इस अवसर का उपयोग नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और राज्य में सक्रिय मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर उनकी चिंताओं को समझने और उन्हें राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए करता है। आयोग स्थानीय मीडिया को 'शिविर बैठकों' के परिणामों के बारे में भी जानकारी देता है ताकि मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्रों में लोगों का विश्वास और आस्था बढ़ाई जा सके।

जुलाई, 2025 के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने भुवनेश्वर, ओडिशा और हैदराबाद, तेलंगाना में ऐसी दो 'जन सुनवाई और शिविर बैठकें' आयोजित कीं। इन मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगी की अध्यक्षता वाली दो पीठों में हुई। और श्रीमती विजया भारती सयानी द्वारा शिकायतकर्ताओं और राज्य सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल, महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आर.पी. मीणा, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्ट इस प्रकार है:

भुवनेश्वर, ओडिशा में शिविर बैठक

21 से 22 जुलाई, 2025 तक भुवनेश्वर में अपने दो दिवसीय शिविर के दौरान 144 मामलों की सुनवाई की और ओडिशा राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को लगभग 28 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफ़ारिश की। ये मामले हिरासत में हुई मौतों, पुलिस अत्याचारों, पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने, सरकारी आश्रय गृहों में हुई मौतों, अस्पतालों में आग लगने से बच्चों की मौत, डूबने से हुई मौतों, आवारा कुत्तों के काटने, बच्चों की दुर्व्यापार, बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, गुमशुदा व्यक्ति, आत्महत्या से हुई मौतें और बिजली का झटका लगने के मामलों से संबंधित थे।

कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक आदिवासी महिला को पेंशन, 15,000 रुपये की अंतरिम राहत और अन्य सामाजिक कल्याण लाभ प्रदान करना; कई मामलों में पुलिस जांच में तेजी लाना और अदालत में आरोपपत्र दाखिल करना; और एक खतरनाक पटाखा फैक्ट्री में काम करते हुए मारे गए पाँच श्रमिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देना शामिल है। आयोग ने शिकायतकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों की सुनवाई के बाद 38 मामले भी बंद कर दिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद तीन मामले बंद कर दिए गए।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन भुवनेश्वर में 'जन सुनवाई' की पीठ-। में मामलों की सुनवाई करते हुए

▶ सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी पीठ-II में भुबनेश्वर में मामलों की सुनवाई करते हुए

एनएचआरसी ने पाया कि 25 मामलों में पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान लंबित है। इसलिए, आयोग ने इस मामले को ओडिशा राज्य विधिक सेवा के सदस्य सचिव के समक्ष उठाया, जिन्होंने मुआवजे के भुगतान के बाद मामले का निपटारा सुनिश्चित किया।

मामलों की सुनवाई के बाद आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, सर्पदंश से होने वाली मौतें, कोविड काल में दुर्व्यापार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न समस्याएँ, जादू-टोना आदि के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोग के निर्देशों का राज्य पदाधिकारियों द्वारा पालन किए जाने की सराहना की गई। मुख्य सचिव ने आयोग के मानसिक स्वास्थ्य, बंधुआ मजदूरी, भोजन और सुरक्षा के अधिकार जैसे परामर्शों का पूर्ण पालन करने और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

बाद में, आयोग ने नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। ओडिशा के प्रख्यात मानव अधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता श्री राधाकांत त्रिपाठी के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। इसके अलावा, न्याय, सम्मान और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए एक शोक संदेश भी जारी किया गया, जिसने ओडिशा में अनगिनत लोगों के जीवन को ऊपर उठाया। मानव अधिकार संरक्षकों ने मानव अधिकार शिक्षा की आवश्यकता, पुलिस सुधार, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याओं जैसे शिक्षा और पहचान दस्तावेजों तक उनकी पहुँच में कमी आदि पर प्रकाश डाला। गैर-सरकारी संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों ने देश में मानवाधिकारों को और मज़बूत करने के लिए उनसे संपर्क करने और विचारों का आदान-प्रदान करने की एनएचआरसी की पहल का स्वागत किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि आयोग के साथ गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों की निरंतर भागीदारी देश में मानव अधिकारों को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्हें यह भी बताया गया कि वे मानव अधिकार उल्लंघनों की शिकायत hrcnet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने राज्य में उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

▶ भुवनेश्वर में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं और ओडिशा सरकार के अधिकारियों का एक समूह

▶ मामलों की सुनवाई पूर्ण पीठ द्वारा की जा रही है

हैदराबाद, तेलंगाना में शिविर बैठक

28 से 29 जुलाई, 2025 तक हैदराबाद में आयोजित तेलंगाना 'शिविर बैठक' में, आयोग ने राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन के 109 मामलों की सुनवाई की। 'जन सुनवाई' के दौरान, दोनों पीठों ने 90 मामलों की सुनवाई की। ये मामले अस्पतालों में आग लगने से बच्चों की मौत, रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक, आग लगने से होने वाली मौतों, बाघों के हमलों, आदिवासी महिलाओं की दुर्व्यापार, आदिवासी परिवारों को जबरन बेदखल करने, बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित करने, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, आत्महत्या से होने वाली मौतों, दलितों के अधिकारों के दुरुपयोग से संबंधित थे। बंधु योजना निधि, पारिवारिक पेंशन के मामले, प्राथमिक विद्यालयों की कमी, गुरुकुल विद्यालयों में खाद्य विषाक्तता, कुपोषण, पुलिस अत्याचार, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करना आदि से संबंधित थे।

दी गई कई महत्वपूर्ण राहतों में खम्मम जिले में ग्रामीणों द्वारा एक परिवार के साथ जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को रोकना, डीआरडीओ से जुड़ी रॉकेट प्रोपेलेंट यूनिट में विस्फोट के सभी चार पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देना, राज्य में आवारा कुत्तों के खतरे को रोकने के लिए एक एसओपी प्रस्तुत करने के निर्देश, आदिवासी महिलाओं की दुर्व्यापार में शामिल एक कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई आदि शामिल हैं।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) बी.आर. षडंगी और सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी हैदराबाद में दो अलग-अलग पीठों में मामलों की सुनवाई करते हुए

▶ शिकायतों की सुनवाई जारी

बाद में, आयोग की पूर्ण पीठ ने 19 लंबित मामलों की सुनवाई की। इनमें से 9 मामलों में, आयोग ने पीड़ितों को 49.65 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने की सिफ़ारिश की। इसमें से 22.50 लाख रुपये तेलंगाना सरकार द्वारा पहले ही भुगतान किए जा चुके थे, और शेष 27.15 लाख रुपये का भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त की। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 29 मामलों को बंद कर दिया। अन्य दो मामलों को पीड़ितों को मुआवज़े के भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बंद कर दिया गया।

मामलों की सुनवाई के बाद 29 जुलाई, 2025 को तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में, आयोग ने उन्हें सरकार की नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों को इस तरह लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया कि कोई भी वंचित न रह जाए। मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो, इसके लिए निवारक और व्यवस्थित कदम उठाने पर भी ज़ोर दिया गया। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और व्यवसाय से प्रभावित मानव अधिकार संबंधी चिंताओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, तेलंगाना के कई ज़िलों में हुई मानव-पशु संघर्ष से होने वाली मौतें, बाल कुपोषण, अनुसूचित जाति निगम की समस्याएँ, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की कमी, मत्स्य बीज उत्पादन में लगे किसानों सहित किसानों की दुर्दशा, LGBTQI समुदाय के अधिकार आदि जैसे मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए चर्चा की गई। आयोग की सलाह और मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों पर अनुपालन रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने पर ज़ोर दिया गया। राज्य के मुख्य सचिव ने आयोग की सिफारिशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

बाद में, आयोग ने नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। आयोग ने दोहराया कि वह मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखता है। गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों ने वृद्धों, विकलांगों, बिस्तर पर पड़े रोगियों आदि के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके देखभालकर्ताओं की सहायता हेतु वित्तीय सहायता की भी मांग की। गरीब बच्चों को उनके पहचान पत्र न मिलने की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया। आयोग ने राज्य में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डॉ. शमीम अख्तर सभी बैठकों में उपस्थित थे।

▶ तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक जारी

परामर्श

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत समय-समय पर विभिन्न हितधारकों के साथ मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर ओपन हाउस, राष्ट्रीय सेमिनार और संगोष्ठियों सहित विभिन्न परामर्शों का आयोजन करता है। इसका उद्देश्य ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श की मुख्यधारा में लाना और समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान ढूँढ़कर सरकार को आगे बढ़ने के लिए सुझाव देना है। जुलाई, 2025 में, आयोग ने 'कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा' विषय पर एक ऐसा ही महत्वपूर्ण परामर्श आयोजित किया था।

'कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

आयोग ने 26 जुलाई, 2025 को कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा पर आयोजित दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के साथ सहयोग किया। इसके बाद 9 सितंबर, 2024 को इसी विषय पर उद्घाटन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह पहल देश भर में पेशेवर वातावरण और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाओं के मद्देनजर की गई है।

श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण देते हुए, भारत में देवियों के प्रति श्रद्धा की संस्कृति और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की भयावह वास्तविकता के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हर घंटे ऐसे अपराधों से संबंधित लगभग 51 प्राथमिकी दर्ज की जाती हैं। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 को लागू करने के पीछे के लंबे संघर्ष को याद किया और महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने, मज़बूत प्रवर्तन तंत्र और व्यवस्थागत बदलावों पर ज़ोर दिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छाकछुआक ने संगोष्ठी के आयोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे व्यापक कानूनी ढाँचे के बावजूद, लिंग आधारित हिंसा की दैनिक रिपोर्टें आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकार उल्लंघन के ऐसे मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाली पीढ़ियाँ महिला अधिकारों के संबंध में अधिक मुखर और क्रियाशील होंगी। श्रीमती छकछुआक ने शिक्षकों से लैंगिक मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील होने और सभी की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया, और कहा कि सभी अपराध खुले तौर पर हिंसक नहीं होते। उन्होंने नीति, प्रवर्तन और जन जागरूकता पर ज़ोर देने का आग्रह किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर एस. के. चौधरी ने कहा कि अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए जागरूकता और आत्मविश्वास दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने समाज में संरचनात्मक समायोजन का आह्वान किया और मानव अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया जो रोजमर्रा के व्यवहार में परिवर्तित हो। प्रोफ़ेसर एस. एम. पटनायक,

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को वर्चुअली संबोधित करते हुए

▶ एनएचआरसी की संयुक्त सचिव श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए

▶ संगोष्ठी जारी है

निदेशक, जनजातीय अध्ययन केंद्र और विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न पर एक सामाजिक-मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने चर्चा की कि कैसे पितृसत्ता और गुमनामी लैंगिक हिंसा को मजबूत करती है। कार्ल सागन को उद्धृत करते हुए, 'सबूतों की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का सबूत नहीं है,' उन्होंने यह मानने के खिलाफ चेतावनी दी कि डेटा की कमी यह दर्शाती है कि समस्या कम हो गई है। प्रोफ़ेसर पटनायक ने सहानुभूति, कम उम्र से ही लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं के लिए सहायता प्रणालियों के निर्माण का आह्वान किया

डॉ. एस. एन. सबत ने महिलाओं की सुरक्षा, खासकर शहरी क्षेत्रों में, बढ़ाने के लिए उभरती हुई तकनीकों और निगरानी प्रणालियों में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। प्रो. नीलिका मेहरोत्रा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा "सबके लिए एक ही तरीका" अपनाने के बजाय, संदर्भ-संवेदनशील समाधानों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

वक्ताओं ने व्यवस्थागत अन्याय, लैंगिक रूढ़िवादिता और संस्थागत जड़ता पर चर्चा की जो संवैधानिक गारंटियों की प्राप्ति में बाधक हैं। कानूनी जागरूकता, सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया गया। वैश्विक स्तर पर और भारत में मानव और महिला अधिकारों के विकास पर भी चर्चा की गई, साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ कैसे संरेखित होते हैं। 'शी-बॉक्स', 'वन स्टॉप सेंटर' और 'पिंक पुलिस बूथ' जैसी मौजूदा व्यवस्थाओं और पहलों पर भी प्रकाश डाला गया।

संगोष्ठी से निकले कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे:

- नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और जागरूकता बढ़ाने के सभी तीन मोर्चों पर महिला सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एक ठोस और लक्षित प्रयास की आवश्यकता;
- महिलाओं की सुरक्षा और लक्षित जागरूकता अभियानों की आवश्यकता के बारे में बातचीत में अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करें;
- ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना जिनका उद्देश्य कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों और परिवारों को संवेदनशील बनाना है;
- राज्य महिलाओं के लिए समावेशी स्थानों का निर्माण सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से निर्णय लेने वाले निकायों में, ताकि संरचनात्मक परिवर्तन लाया जा सके;
- यह अनुशंसा की जाती है कि शैक्षणिक संस्थान सक्रिय कदम उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को विभिन्न लिंग-संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, साथ ही उन्हें इस बात के प्रति जागरूक बनाया जाए कि विपरीत लिंग से संबंधित स्थितियों में उन्हें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए।

एनएचआरसी, भारत ने लिंग आधारित हिंसा से निपटने और महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित, अधिक समावेशी सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थान बनाने के लिए संस्थानों में सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

लेख

मानव अधिकारों का विकास और वन अधिकारियों की भूमिका

- न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन
अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

(इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून द्वारा भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए मानव अधिकारों पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मानव अधिकारों के विकास और वन अधिकारियों की भूमिका पर एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष के संबोधन के अंश)

भारत का संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है, और प्रत्येक भाग अपने विशिष्ट किन्तु परस्पर संबद्ध कार्य करता है। जहाँ न्यायपालिका के सदस्य मुख्यतः संविधान के भाग III-जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है - के साथ कार्य करते हैं, वहीं भारतीय वन सेवा के अधिकारी भाग IV में गहराई से निहित हैं, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 48A में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।" अनुच्छेद 51A(g) भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक नागरिक पर "वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने" का मौलिक कर्तव्य आरोपित करता है।

भारतीय लोगों और वनों के बीच का रिश्ता प्राचीन और गहरा है। भारतीय सभ्यता ने ऐतिहासिक रूप से वनों से अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक पोषण प्राप्त किया है। नैमिष वन या नैमिषारण्य, जहाँ ऋषियों ने पहली बार पुराणों को सुना था, भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यधिक महत्व रखता है। ऐसे पवित्र उपवनों के बिना, हमारी साहित्यिक विरासत उस रूप में विकसित नहीं हुई होती जिसे हम आज जानते हैं। हमारी आश्रम प्रणाली वनों के साथ इस आत्मीयता को पहचानती है; जीवन के तीसरे चरण को उपयुक्त रूप से वानप्रस्थ नाम दिया गया है, जो प्रकृति के प्रति एक सचेत वापसी का प्रतीक है। वास्तव में, रामायण स्वयं, जिसे अक्सर हमारा इतिहास माना जाता है, प्रकृति के प्रति गहरी सहानुभूति के एक क्षण से उभरा था, जो वन्यजीवों के दुख के एक क्षण से पैदा हुआ था – यह साहित्य और नैतिकता के क्षेत्र में एक जागृति का प्रतीक है। प्रकृति के प्रति यह सम्मान मानव अधिकारों के लिए एक शुरुआती, शायद अनौपचारिक, आधार बनाता है, जिसे हम आज मानव अधिकार कहते हैं।

जबकि अधिकांश आधुनिक विमर्श 1215 के मैग्ना कार्टा से शुरू होते हैं अनुसार, अंतर्निहित गरिमा और स्वतंत्रता का विचार सदियों पुराना है। 539 ईसा पूर्व में, फारस के महान साइरस ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त करने के बाद, दासों को मुक्त किया, धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति दी और नस्लीय समानता की वकालत की। अक्कादियन भाषा में लिखित और मिट्टी के बेलन पर अंकित साइरस के चार्टर को कई इतिहासकार सबसे प्रारंभिक मानव अधिकार घोषणाओं में से एक मानते हैं क्योंकि यह दो सहस्राब्दियों बाद अपनाए गए सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र (यूडीएचआर) से बहुत मेल खाता है।

इसके बाद, विभिन्न मील के पत्थरों ने नागरिक स्वतंत्रता की दिशा को आकार दिया। 1628 में, राजा चार्ल्स प्रथम की नीतियों के विरुद्ध अधिकार याचिका (पेटिशन ऑफ़ राइट) दायर की गई। इस याचिका में मनमानी गिरफ़्तारी और मालिक की सहमति के बिना निजी घरों में सैनिकों के रहने पर रोक लगाई गई। इसके बाद, 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम लागू हुआ, जिसने प्रजा को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने पर रोक लगा दी। इस अधिनियम के तहत, अगर न्यायाधीश और राजा के लोग ज़मानत के पात्र व्यक्ति को रिहा नहीं करते, तो उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाता था। इसके बाद 1689 का इंग्लिश बिल ऑफ़ राइट्स आया—संसद का एक अधिनियम जिसने राजशाही की शक्तियों को सीमित कर दिया और प्रमुख अधिकार निर्धारित किए, जैसे नियमित संसद सत्र, स्वतंत्र चुनाव, संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्रूर दंडों का निषेध और प्रदर्शनकारियों को वैध परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार।

1765 में, अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। 1776 तक, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, और संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा को स्वीकार कर लिया। इसके प्रमुख लेखक, थॉमस जेफरसन, ने प्रसिद्ध रूप से लिखा था: "सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं; उन्हें उनके रचयिता ने कुछ अविभाज्य अधिकार प्रदान किए हैं; इनमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज शामिल हैं," इस विश्वास की पुष्टि करते हुए कि खुशी का अधिकार एक प्राकृतिक, दैवीय अधिकार है।

अमेरिकी संविधान अंततः 1787 में अपनाया गया—आज़ादी के ग्यारह साल बाद। इसके विपरीत, भारत को 1947 में आज़ादी मिली और उसने ढाई साल के भीतर ही अपना संविधान अपना लिया। जब अमेरिका में यह सब हो रहा

था, तब फ्रांस ने भी 1789 में एक क्रांति देखी। बैस्टिल पर हमले के छह हफ़्ते बाद, राष्ट्रीय संविधान सभा ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा को अपनाया। इस घोषणा में स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और उत्पीड़न के प्रतिरोध की गारंटी दी गई थी। भाषा में अंतर पर ध्यान दें—जेफरसन ने खुशी का ज़िक्र किया; फ्रांसीसी लोगों ने उत्पीड़न के प्रतिरोध पर ज़ोर दिया।

अमेरिकी संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद, पहली कांग्रेस ने बारह संशोधन प्रस्तावित किए, जिनमें से दस को 1791 में अधिकार विधेयक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा जारी रही। इसे 1865 में 13 वें संशोधन के माध्यम से ही समाप्त किया जा सका। 1868 में स्वीकृत 14 वें संशोधन ने "उचित प्रक्रिया" खंड और कानून के तहत समान सुरक्षा की शुरुआत की। फिर भी, दास प्रथा के उन्मूलन के बावजूद, अलगाव कानून जारी रहे। अश्वेत लोग बसों में गोरों के साथ नहीं बैठ सकते थे या कुछ सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसे बदलने में लगभग 90 साल लग गए।

1955 में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक अफ़्रीकी-अमेरिकी महिला रोज़ा पार्क्स एक बस में श्वेतों के लिए आरक्षित नहीं की गई सीट पर बैठ गईं और जब उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सीट खाली करने से इनकार कर दिया। उनके इस विरोध ने डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में 385 दिनों तक चले नागरिक अधिकार आंदोलन को जन्म दिया। अफ़्रीकी-अमेरिकियों ने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बंद कर दिया, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा। हालाँकि, यह नैतिक आक्रोश नहीं था, बल्कि परिवहन कंपनियों को हुए आर्थिक नुकसान ने अंततः सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। अंततः, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से अलगाव कानूनों को निरस्त कर दिया गया। जब अफ़्रीकी मूल के बराक ओबामा राष्ट्रपति चुने गए, तो एक 16 वर्षीय लड़की ने एक कविता में इतिहास सुनाया:

"रोज़ा पार्क्स बैठीं,
तो मार्टिन लूथर चले, मार्टिन चले,
तो ओबामा दौड़ सकते थे, ओबामा दौड़े,
ताकि हम सब उड़ सकें।"

इसके विपरीत, भारत की प्रगति अलग थी और कई मायनों में, ज़्यादा तेज़ थी। आज़ादी के तीन साल के भीतर ही हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 के ज़रिए अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह भारत में गुलामी या नस्लीय भेदभाव नहीं था।

समानांतर रूप से, अमेरिकी संविधान में 13वें संशोधन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) छिड़ गया। युद्ध के बाद, 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। हालाँकि, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के साथ ही, दुनिया ने भारी तबाही देखी, जिससे कई लोग बेघर हो गए। इस तबाही के जवाब में, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसके चार्टर में जाति, लिंग, भाषा या धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा देने का उद्देश्य घोषित किया गया था। "सम्मान" शब्द ही मुख्य रहा। मानव अधिकारों के लिए लड़ने का अर्थ अक्सर अपने अधिकारों के बारे में सोचना होता था, लेकिन मानव अधिकारों का सम्मान करने का अर्थ था यह स्वीकार करना कि दूसरों के भी अधिकार हैं—और उन अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

1946 में, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना की - 18 सदस्यों का एक निकाय जिसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया, जिसे 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। तब तक, अधिकारों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया था: नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जो जीवन, स्वतंत्रता और राज्य के उत्पीड़न से सुरक्षा पर केंद्रित थे; और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, जो व्यक्तिगत आजीविका और कल्याण को संबोधित करते थे।

1979 में, एक चेक विद्वान ने "अधिकारों की पीढ़ियों" की अवधारणा प्रस्तावित की। उन्होंने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को पहली पीढ़ी के अधिकारों के रूप में और सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकारों के रूप में वर्गीकृत किया। यूडीएचआर को अपनाने के बाद से 77 वर्षों में, इस विमर्श में तीसरी पीढ़ी और यहाँ तक कि चौथी पीढ़ी के अधिकारों को भी शामिल किया गया है। इसी क्रम में भारतीय वन सेवा की भूमिका प्रमुखता से उभर कर सामने आती है।

पहली पीढ़ी के अधिकार मुख्यतः स्वतंत्रता और राज्य के उत्पीड़न से सुरक्षा से संबंधित थे। दूसरी पीढ़ी के अधिकार—सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक—जीविका पर केंद्रित थे। 1992 के रियो घोषणापत्र के बाद प्रमुखता से उभरे तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को सामूहिक अधिकार के रूप में जाना जाने लगा। ये सामूहिक अधिकार मुख्यतः पर्यावरण और जलवायु संरक्षण से संबंधित थे। हालाँकि ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित भारतीय वन सेवा एक सदी से भी अधिक समय से अस्तित्व में थी, लेकिन रियो घोषणापत्र के बाद ही दुनिया ने पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में लोगों के सामूहिक अधिकारों को मान्यता देना शुरू किया। इसलिए, इन्हें तीसरी पीढ़ी के अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा।

हाल के वर्षों में, समाज चौथी पीढ़ी के अधिकारों के दायरे में पहुँच गया है। ये अधिकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के विस्फोट से आकार ले रहे हैं। पहले, "जीवन के अधिकार" की व्याख्या केवल जीवन, आजीविका और जीने के अधिकार तक ही सीमित मानी जाती थी। हालाँकि, वैज्ञानिक प्रगति के साथ, अब मृत्यु के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का एक पहलू माना जाने लगा है। हालाँकि सैद्धांतिक रूप से मृत्यु और जीवन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी कानून ने इस सूक्ष्म समझ को समायोजित कर लिया है। परिणामस्वरूप, सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु से जुड़े विमर्शों ने गति पकड़ी है।

तकनीक की प्रगति इतनी बढ़ गई है कि इसने क्रायोनिक्स जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया है। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी मृत शरीर को सौ साल तक संरक्षित रखा जा सकता है, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में

उसे पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इसका एक वास्तविक उदाहरण तब सामने आया जब कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित एक युवती ने एक अंग्रेजी अदालत को पत्र लिखकर मृत्यु के बाद अपने शरीर को क्रायोप्रिजर्व करने की अनुमति मांगी। नाबालिग होने के कारण, उसके पास स्वतंत्र सहमति देने की कानूनी क्षमता नहीं थी। इसलिए, सहमति उन लोगों से आनी थी जिन्हें कानूनी तौर पर उसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी—उसके सगे माता-पिता, जो अलग हो चुके थे। माँ सहमति देने को तैयार थी, जबकि पिता ने इसका विरोध किया।

यह मामला उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जैक्सन के समक्ष आया। चूँकि लड़की इतनी अस्वस्थ थी कि वह अदालत में पेश नहीं हो सकी, इसलिए न्यायाधीश ने अस्पताल में उससे मुलाकात की और उसका बयान दर्ज किया। हालाँकि क्रायोनिक्स की वैज्ञानिक वैधता अटकलबाज़ी और नैतिक रूप से विवादास्पद बनी रही, फिर भी न्यायाधीश ने अंततः माँ को बाल अधिनियम 1989 (यूके) के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने की अनुमति दे दी। तब से यह विद्वानों की गहन बहस का विषय रहा है। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने अतिरिक्त कानूनी और नैतिक बहसों को जन्म दिया है - जैसे कि लैंगिक न्याय और लैंगिक परिवर्तन से संबंधित बहसें, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपनी लैंगिक पहचान बदलना चाहते हैं।

ये सभी घटनाक्रम चौथी पीढ़ी के अधिकारों से उत्पन्न जटिलताओं को दर्शाते हैं। इसलिए, वन अधिकारियों के लिए इन विकसित होते सामाजिक गतिशीलता को समझना आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, डिजिटल परिवर्तनों और सूचना के अत्यधिक प्रवाह से उत्पन्न इन जटिलताओं को गहराई से समझना आवश्यक है। ऐसी समझ के बिना, मानव अधिकारों, विशेषकर पर्यावरण और वन्यजीव चिंताओं से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाती है।

भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के दीक्षांत समारोह में एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यन का संबोधन

30 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA), देहरादून में आईएफएस दीक्षांत समारोह 2025 में परिवीक्षार्थियों को एक विचारोत्तेजक भाषण दिया। उनके संबोधन के कुछ अंश इस प्रकार हैं:

आज, जब मुझे प्रशिक्षण पूरा होने के प्रतीक के रूप में एक स्कार्फ़ भेंट किया गया, तो मेरे मन में 1979-80 की यादें ताज़ा हो गईं, जब मेरे पिता चाहते थे कि मैं अखिल भारतीय सेवा में शामिल हो जाऊँ। मैंने कभी भी आपके जितना अच्छा अध्ययन नहीं किया और न ही प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया, फिर भी जीवन की विडंबना मुझे दशकों बाद आपके सामने यह भाषण देने के लिए यहाँ ले आई है। मैं अक्सर जीवन को तीन प्रकार के छात्रों के माध्यम से समझाता हूँ: सबसे आगे बैठने वाले, जो शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट होते हैं और आमतौर पर डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं; बीच बैठने वाले, जो सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और बाद में सबसे आगे बैठने वालों का नेतृत्व करते हैं; और सबसे पीछे बैठने वाले, जो सामाजिक रूप से अधिक प्रवृत्त होते हैं और अक्सर राजनेता बनकर दोनों का नेतृत्व करते हैं। मैं जो संदेश साझा करना चाहता हूँ वह यह है कि सफलता कई रूप लेती है, समय के साथ भूमिकाएँ बदलती हैं, और आज का दीक्षांत समारोह अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के रूप में आपकी व्यापक यात्रा की शुरुआत मात्र है। यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ से आप कहाँ जाएँगे?

स्वामी विवेकानंद ने कहा था, "मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो आम जनता की कीमत पर शिक्षित होकर उनकी ज़रा भी परवाह नहीं करता।" आप अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी बन गए हैं, कर्मचारी नहीं। हमारे

पूर्वजों ने नौकरी लेने वालों, रोज़गार के लिए जाने वालों और सेवा में प्रवेश करने वालों के बीच बहुत स्पष्ट अंतर किया था।

एक सरकारी कर्मचारी केवल नौकरी ही नहीं करता, बल्कि सेवा में प्रवेश भी करता है, जो अनुबंधों या श्रम कानूनों द्वारा शासित कंपनियों या कारखानों में नियमित रोजगार से अलग है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 309, 311 और 312 के तहत संरक्षित, सरकारी सेवा यह सुनिश्चित करती है कि किसी को उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्त, हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, सरकारी सेवा को केवल रोजगार के बजाय एक पद माना जाता है, एक ऐसा अंतर जिसे आप सभी को समझना चाहिए।

एक वकील के रूप में 23 वर्षों और बाद में न्यायपालिका में 17 वर्षों के अपने अनुभव से, मैंने ऐसे सबक सीखे हैं जो कोई विश्वविद्यालय या अकादमी नहीं सिखा सकती—अगर हम सीखने को तैयार हों, तो जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, वह यह है: चाहे कितना भी प्रलोभन या खतरा क्यों न हो, कभी भी नियम न तोड़ें। अगर आप दृढ़ रहें, तो आपको दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरण जैसी अल्पकालिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको सम्मान और सच्चा लाभ मिलेगा। नियम तोड़ने वालों को अल्पकालिक पुरस्कार मिल सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें दीर्घकालिक दंड का सामना करना पड़ता है। इसलिए, कभी भी नियम न तोड़ें। जिस क्षण आप नियम तोड़ना शुरू करते हैं, उसका कोई अंत नहीं होता। यह पहला सबक है, जिसे मैं आपसे कृपया ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूँ।

दूसरा सिद्धांत जो मैंने सीखा है, वह है अपने अधीनस्थों या सहकर्मियों के साथ कभी भी बुरा व्यवहार न करना। तमिल रामायण में, राम स्वयं सुग्रीव को सलाह देते हैं कि अपने अधीनस्थ के साथ बुरा व्यवहार करने से पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। उन्हें याद आता है कि कैसे बचपन में उन्होंने एक बार मंथरा नाम की दासी का मज़ाक उड़ाया था, जिसके प्रभाव में आकर कैकेयी द्वारा उन्हें चौदह वर्षों के लिए अपना राज्य गँवाना पड़ा था। यह कहानी मुझे याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी ऊँचे पद पर क्यों न पहुँच जाएँ, अपने अधीनस्थों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना ज़रूरी है।

तीसरा सबक यह है कि जनसेवा में, हमें हमेशा लोगों के अनुकूल रहना चाहिए, हालाँकि हम हमेशा वह नहीं कर पाएँगे जो लोग चाहते हैं। एक गुरु ने एक बार सेवा में नए प्रवेशकर्ता को आशीर्वाद देते हुए कहा था: "हो सकता है कि तुम हमेशा उपकृत न करो, लेकिन तुम हमेशा उपकृत भाव से बात कर सकते हो।" मैंने देखा है कि कैसे यह रवैया, निरंतरता के साथ, सम्मान को बनाए रखता है। लगातार बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति स्वीकार्य हो जाता है, लेकिन आचरण में असंगति प्रशंसा नहीं जीतती; हालाँकि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना असंभव हो सकता है, फिर भी व्यवहार में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। मेरा अंतिम सबक यह है कि जीवन में हम जो कुछ भी देते हैं, वह हमेशा हमें वापस मिलता है। चाहे स्वेच्छा से या अनजाने में, जानबूझकर या अनजाने में, हमें एक दिन वही काटना होगा जो हम बोते हैं। यह एक ऐसा सच है जो मैंने बार-बार देखा है। मैं बस एक कहानी सुनाकर अपना भाषण पूरा करूँगा।

डॉ. हॉवर्ड केली नाम के एक महान चिकित्सक थे, जिनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गरीब परिवार में हुआ था और उन्हें अपनी शिक्षा का खर्च भी उठाना मुश्किल था। गुज़ारा करने के लिए, उन्होंने अपने मोहल्ले में दूध और अखबार बेचे। एक बार, जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, तो उन्होंने रोटी माँगने के इरादे से एक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब उनकी उम्र की एक छोटी लड़की ने दरवाज़ा खोला, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बजाय, उन्होंने सिर्फ़ एक गिलास पानी माँगा। हालाँकि, उस लड़की ने उनकी आँखों में भूख देखी और उन्हें एक गिलास दूध दिया। जब उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह दोस्ती और करुणा के कारण दिया गया था। वर्षों बाद, डॉ. केली एक प्रसिद्ध चिकित्सक और एक अस्पताल के संस्थापक बने। एक दिन, उनकी नज़र एक मरीज़ पर पड़ी जिसे कई महंगी सर्जरी की सख़्त ज़रूरत थी। जब उन्होंने उसके मामले की समीक्षा की, तो उन्हें पता चला कि वह वही लड़की थी जिसने कभी उन्हें दूध दिया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उसकी सबसे अच्छी देखभाल हो, और जब उसे छुट्टी देने का समय आया, तो अस्पताल के बिल के बारे में सोचकर वह काँप उठी। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि जब आपको दिल का दौरा पड़ता है और आप अपने अस्पताल जाते हैं, तो वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जब आपको बिल मिलता है, तो आपको दूसरा दिल का दौरा पड़ता है, जिसका इलाज केवल पैसा ही है।

इसलिए, जब वह बिल मिलने से घबरा गई, तो अधीक्षक ने मरीज़ को बताया कि डॉक्टर ने एक कागज़ पर कुछ लिखकर एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में रख दिया है। जब उस महिला ने लिफ़ाफ़ा खोला, तो उसमें डॉ. हॉवर्ड केली ने लिखा था, "यह बिल चालीस साल पहले एक गिलास दूध के साथ पूरा चुकाया जा चुका है।" इस कहानी ने मुझे हमेशा एक गहन सत्य की याद दिलाई है: हम जो निस्वार्थ भाव से देते हैं, वह हमें ऐसे तरीकों से वापस मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कई गुना बढ़कर। जिस तरह दयालुता कई गुना बढ़कर वापस आती है, उसी तरह अन्याय से ली गई किसी भी चीज़ का बदला चुकाना पड़ता है, अक्सर ज़्यादा कीमत चुकाकर। यह एक ऐसा सबक है जिसे मैं आपसे जीवन और सेवा में अपने साथ रखने का आग्रह करता हूँ।

तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में मिलता है । एक छात्र अपनी शिक्षा पूरी करके बाहर जाता है। वह शिक्षक से पूछता है, 'मेरा क्या कहना है?' शिक्षक कहते हैं, 'सत्यं वद धर्मम चर - सत्य बोलो पालन करो, धर्म का पालन करो। यही शिक्षा का उद्देश्य है, और मुझे लगता है कि आज इस दीक्षांत समारोह में आप सभी को यही संदेश अपनाना चाहिए। मैं आप सभी को अपनी महत्वाकांक्षा में सफल होने और अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी बनने के लिए बधाई देता हूँ। आज आपको उपलब्धि का अहसास हो रहा है। 30-40 साल बाद, जब आप सेवानिवृत्त होंगे, तो आपको संतुष्टि का अहसास होना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।"

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

फर्जी डॉक्टर के कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम करने के मामले में अनियमितताएं

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मध्य प्रदेश के दमोह स्थित मिशन अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत एक फर्जी डॉक्टर के मामले में अपनी जाँच में कई अनियमितताएँ पाईं। तदनुसार, आयोग ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कई सिफारिशें भेजकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने 28 मार्च, 2025 को एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था और अपनी जाँच के अलावा संबंधित राज्य अधिकारियों से मामले पर रिपोर्ट भी माँगी थी।

आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से इस फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ के इलाज के बाद मरने वाले सभी सात मरीजों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की है। आयोग ने मामले के अंतिम निपटारे तक मिशन अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की है, साथ ही राज्य में कार्यरत सभी कैथ लैब का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा, राज्य सरकार यह सत्यापित करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी करे कि क्या सभी डॉक्टर कैथ लैब में काम करने के योग्य हैं या नहीं।

एनएचआरसी की राज्य सरकार को दी गई कुछ अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), दमोह के साथ सर्जरी करने, रोगियों के चिकित्सा इतिहास और किसी भी प्रासंगिक परीक्षण के परिणाम या विशिष्ट प्रक्रिया, इसके संभावित जोखिमों और लाभों और किसी भी वैकल्पिक उपचार विकल्पों के बारे में कोई जानकारी साझा की गई थी;
- प्लॉट संख्या 86/1 पर पट्टे, हस्तांतरण और अनधिकृत निर्माण से संबंधित अनियमितताओं की जांच करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू करें;
- मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और उसकी जाँच में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें मिशन अस्पताल के आरोपियों और प्रबंधन के विरुद्ध प्रक्रियात्मक कानून और कानूनी सिद्धांतों के अनुसार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिनमें गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, जालसाजी, चिकित्सा लापरवाही, कदाचार, धन की हेराफेरी आदि से संबंधित आरोप शामिल हैं।
- मिशन हॉस्पिटल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग तथा आयुष्मान कार्डधारी मरीजों के इलाज के लिए विदेशी चंदे की जांच आर्थिक अपराध शाखा तथा मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) भोपाल के माध्यम से की जाए;
- व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार अस्पताल की आड़ में संचालित आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना;
- देशभर में कैथ लैब का सत्यापन कराएं तथा सभी राज्य सरकारों को आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जांच करने के निर्देश जारी करें।

स्कूल में 5 साल के बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार

रीवा के एक निजी स्कूल में शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा पाँच वर्षीय छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की अनुशंसा पर, मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ित को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की है। आयोग द्वारा जारी नोटिस और उसके बाद जिला कलेक्टर को जारी सशर्त समन के जवाब में, बताया गया कि दोषी परिचारक की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं और कक्षा शिक्षक को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

ज़िला अधिकारियों की रिपोर्ट से पता चला है कि कक्षा शिक्षक ने बच्चे को एक अटेंडेंट के पास भेजा, जिसने उसे उसके गंदे कपड़े धोकर पहना दिए, जिससे वह बीमार पड़ गया। इस मामले में धारा 238 बीएनएस और जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसकी जाँच चल रही है।

आयोग ने इस संबंध में 23 जनवरी, 2025 को मामला दर्ज किया था। रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि स्पष्ट रूप से आरोपी परिचारक और कक्षा शिक्षक ने बल प्रयोग किया होगा, जिससे बच्चे को मानसिक और शारीरिक पीड़ा के साथ-साथ पूरी कक्षा के सामने अपमानित होना पड़ा।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न दिए जाने पर रोक लगाती है।

स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु मीडिया रिपोर्ट्स एक अत्यंत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने ऐसे कई मुद्दों का स्वतः संज्ञान लिया है और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत पहुँचाई है। जुलाई, 2025 के दौरान, आयोग ने मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के 10 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

सार्वजनिक स्थानों पर दो बालकों की डूबने से मौत

(केस संख्या 14635/24/30/2025 और केस संख्या 3370/30/6/2025)

नोएडा में दो लड़कों के डूबने की खबरें आईं। 7 जुलाई, 2025 को दिल्ली-एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में एक 4 साल का बच्चा खुले नाले में गिरकर मर गया। दिल्ली में, उत्तर-पश्चिम ज़िले के महेंद्र पार्क इलाके में एक 4 साल का बच्चा खुले नाले में गिरकर मर गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की यह कोई अकेली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, एक 6 साल का बच्चा एक पार्क के अंदर बने जलाशय में डूब गया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने पार्क में स्थित जलाशय के खतरों के बारे में जानकारी मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की।

आयोग ने पाया है कि दोनों घटनाओं में मीडिया रिपोर्टों की सामग्री, यदि सत्य है, तो मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, दिल्ली में हुई घटना के संबंध में, आयोग ने मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा में हुई घटना में आयोग ने जीएनडीए के अध्यक्ष और पुलिस आयुक्त गौतम को नोटिस जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

जादू-टोना के संदेह में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या

(केस संख्या 2903/4/27/2025)

8 जुलाई, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि 6 जुलाई, 2025 को बिहार के पूर्णिया जिले में जादू-टोना करने के संदेह में अनुसूचित जनजाति के एक परिवार के पांच सदस्यों, जिनमें तीन महिलाएं शामिल थीं, की हत्या कर दी गई और उन्हें जला दिया गया। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जांच की वर्तमान स्थिति और अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी भी शामिल है।

आयोग ने राज्य सरकार को 16 वर्षीय लड़के की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परामर्श प्रदान करने और कदम उठाने का भी निर्देश दिया है, जो कथित तौर पर पीड़ित परिवार का एकमात्र जीवित व्यक्ति है और दर्दनाक घटना का प्रत्यक्षदर्शी है।

रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर से तीन लोगों की मौत

(केस संख्या 1667/22/46/2025)

9 जुलाई, 2025 को मीडिया में खबर आई कि तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर एक पैसेंजर ट्रेन ने एक स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिससे तीन बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, तब लेवल क्रॉसिंग का गेट खुला था और एक ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि इस लेवल क्रॉसिंग की जगह पर दक्षिण रेलवे ने एक अंडरपास बनाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन पिछले एक साल से यह जिला कलेक्टर की मंजूरी के लिए लंबित है।

आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय, तथा तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें घटना में घायल हुए व्यक्तियों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति भी शामिल है।

खड़ी ट्रेन के डिब्बे में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार

(केस संख्या 1613/7/19/2025-WC)

8 जुलाई, 2025 को मीडिया में खबर आई कि हरियाणा के पानीपत शहर में एक खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में अपराधियों ने उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया, जहाँ एक ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गुजर गई। पुलिस ने 26 जून, 2025 की रात को सोनीपत में हिंदू कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर उसे पाया, जिसके बाद उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान किए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की उम्मीद है।

पुलिस हिरासत में कथित शारीरिक यातना के बाद आत्महत्याएं

(केस संख्या 3439/30/7/2025 और केस संख्या 15376/24/25/2025)

नांगली में पुलिस हिरासत में कथित शारीरिक यातना के बाद दो लोगों ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली के नांगली विहार और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में क्रमशः 12 और 15 जुलाई, 2025 को हुई घटना के संबंध में पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को चोरी और घरेलू हिंसा की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामलों में पूछताछ के लिए पुलिस थानों में बुलाया था। दिल्ली के मामले में, आयोग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिस आयुक्तों को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सीवर का गड्ढा खोदते समय एक मजदूर की मौत

(केस संख्या 2197/20/1/2025)

15 जुलाई, 2025 को मीडिया में खबर आई कि राजस्थान के अजमेर जिले के एक पावर हाउस परिसर में खोदे जा रहे 30 फीट गहरे सीवर के गड्ढे में मिट्टी धंसने से एक 50 वर्षीय मजदूर दब गया। बताया जा रहा है कि बाकी मजदूर किसी तरह बच गए। आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और अजमेर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मृतक के निकटतम संबंधी को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का भी उल्लेख होना अपेक्षित है।

स्कूल की इमारत गिरने से 7 छात्रों की मौत

(केस संख्या 2294/20/17/2025)

मीडिया में खबर आई है कि 25 जुलाई, 2025 को राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत ढह गई, जिससे सात बच्चों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की लापरवाही का हवाला देते हुए जिला प्रशासन को स्कूल की जर्जर हालत की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राहत के लिए सिफारिशें

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को संबोधित करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की सिफारिश करना। यह नियमित रूप से ऐसे विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और सिफारिशें देता है। जुलाई, 2025 में, सदस्य बेंचों द्वारा प्रतिदिन लिए गए मामलों की संख्या के अलावा, पूर्ण आयोग द्वारा 19 मामलों और बेंच- III द्वारा 10 मामलों की सुनवाई की गई। 05 मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों के लिए 21 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की सिफारिश की गई थी, जिसमें पाया गया था कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	216/3/11/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	असम
2.	7758/30/9/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	दिल्ली
3.	1461/20/22/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	राजस्थान
4.	2717/25/19/2023-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल
5.	675/25/5/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	1.00	पश्चिम बंगाल

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

जुलाई 2025 के दौरान, आयोग ने 19 मामले या तो लोक प्राधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर या अन्य टिप्पणियाँ/निर्देश देकर बंद कर दिए। आयोग की सिफारिशों पर पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को 53.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इन मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को दर्ज करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	3100/4/30/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	बिहार
2.	179/30/2/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	3.00	दिल्ली
3.	2670/18/28/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	ओडिशा
4.	310/20/7/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	राजस्थान
5.	754/33/26/2022-ईस्वी	न्यायिक हिरासत में मौत	3.00	छत्तीसगढ
6.	4449/18/2/2022-ईस्वी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	ओडिशा
7.	1088/34/14/2019-डीएच	न्यायिक हिरासत में मौत	0.5	झारखंड
8.	2842/7/3/2022	बिजली का झटका लगने से मौत	4.00	हरयाणा
9.	227/34/16/2023	विकलांगता पेंशन	0.25	झारखंड
10.	304/18/12/2024	गैरकानूनी हिरासत	5.00	ओडिशा
11.	3115/18/0/2022	बिजली का झटका लगने से मौत	5.00	ओडिशा
12.	4494/30/9/2023-डब्ल्यूसी	यौन उत्पीड़न की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करना	0.5	दिल्ली
13.	11189/24/22/2022-डब्ल्यूसी	महिला की पिटाई और शील भंग करने के मामले में पुलिस की निष्क्रियता	0.5	उतार प्रदेश।
14.	11416/24/28/2022	वैध कार्रवाई करने में विफलता	2.00	उतार प्रदेश।
15.	27421/24/19/2022	वैध कार्रवाई करने में विफलता	1.00	उतार प्रदेश।
16.	8107/24/3/2023	गली के कुत्तों ने एक व्यक्ति को मार डाला	0.75	उतार प्रदेश।
17.	1111/35/7/2022	शारीरिक दंड	0.5	उत्तराखंड
18.	69/35/12/2024	पुलिस कर्मी द्वारा मारपीट की शिकायत पर कार्रवाई न करना	0.5	उत्तराखंड
19.	114/25/5/2023	पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग	0.1	पश्चिम बंगाल

केस स्टडीज

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य प्राधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए कि क्यों न मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ित या उनके निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत देने की सिफारिश की जाए और मामले-दर-मामला आधार पर दोषी/लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के राज्यों के दृष्टिकोण की खूबियों ने आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत देने की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया। आयोग को संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपनी सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। ऐसे कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

एक नवजात शिशु की मृत्यु

(केस संख्या 1088/34/14/2019-डीएच)

झारखंड के पाकुड़ स्थित मंडल कारागार में एक नवजात शिशु की मृत्यु से संबंधित है। संबंधित प्राधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि नवजात शिशु की मृत्यु जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई थी। आयोग ने राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और झारखंड सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि वह मृत शिशु के निकट संबंधी को 50,000 रुपये का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों न करे। हालाँकि, कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, आयोग ने पीड़ित परिवार को राहत देने की अपनी अनुशंसा की पुष्टि की, जिसका अनुपालन राज्य सरकार को बाद में भेजे गए अनुस्मारकों के बाद किया गया।

जेल में आत्महत्या

(केस नंबर 2670/18/28/2020-जेसीडी)

बीजू पटनायक जेल में एक कैदी की मौत से संबंधित था। पटनायक ओपन एयर आश्रम, जमुझारी, खोरदा, ओडिशा में 2020 में आत्महत्या का प्रयास किया गया था। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि कैदी ने जेल परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया, जो निगरानी और वार्ड स्टाफ की लापरवाही को दर्शाता है। आयोग ने पाया कि कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल जेल अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि ओडिशा सरकार पीड़ित के निकट संबंधी को 5 लाख रुपये की राहत राशि दे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु

(केस संख्या 4449/18/2/2022-एडी)

मामला ओडिशा के बोलनगीर स्थित कांताबंजी उप-जेल परिसर में एक विचाराधीन कैदी की आत्महत्या से संबंधित था। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि जाँच मजिस्ट्रेट को इस घटना में जेल कर्मचारियों की लापरवाही नहीं मिली। हालाँकि, आयोग इस रिपोर्ट से सहमत नहीं था, क्योंकि कैदी ने राज्य की देखरेख और संरक्षण में न्यायिक हिरासत में आत्महत्या की थी। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि ओडिशा सरकार पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत राशि दे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

एक महिला पर हमला

(केस संख्या 4494/30/9/2023-WC)

यह मामला 2023 में पश्चिमी दिल्ली में एक महिला के साथ उसके मकान मालिक द्वारा किए गए बलात्कार से संबंधित था। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और उस पर अपराधी के साथ समझौता करने का दबाव डाला, ऐसा न करने पर वे उसके एक दोस्त को झूठे मामले में फँसा देंगे। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि पुलिस अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लंघन किया। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि दिल्ली सरकार पीड़िता को 50,000 रुपये की राहत राशि दे, जो अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के बाद दी गई।

पुलिस द्वारा हमला

(केस संख्या 69/35/12/2024)

मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित काशीपुर थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ कथित दुर्व्यवहार और हमले से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी पुलिस अधिकारी ने बिना किसी कारण के उसकी मोटरसाइकिल की चाबी ले ली और उसे थाने से लाने को कहा। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि आरोपी कांस्टेबल ने अपने पद का दुरुपयोग किया और गैरकानूनी तरीके से काम किया, जिससे शिकायतकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि उत्तराखंड सरकार पीड़ित को 50,000 रुपये की राहत राशि का भुगतान करे, जिसका भुगतान उसने कर दिया और दोषी कांस्टेबल को चेतावनी जारी की गई।

पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की पिटाई

(केस संख्या 304/18/12/2024)

ओडिशा के पुरी स्थित बलंगा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई से संबंधित था। उसे एक सादे कागज़

पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और धमकी दी जा रही थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे और उसके भाई को झूठे मामले में फँसाकर मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में हो रहे अत्याचारों से अवगत होने के बावजूद निष्क्रिय रहे। संबंधित अधिकारियों को भेजे गए नोटिस के जवाब में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि अवैध हिरासत और यातना के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं। आयोग ने सिफारिश की कि ओडिशा सरकार पीड़ित को 5 लाख रुपये की राहत राशि दे, जिसका भुगतान कर दिया गया।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करके मानव अधिकारों की स्थिति और संबंधित राज्य सरकारों एवं उनके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयोग के परामर्शों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करते हैं। वे आश्रय गृहों, कारागारों, संप्रेक्षण गृहों आदि का भी दौरा करते हैं और सरकारी अधिकारियों को मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयास करने हेतु जागरूक करते हैं। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र निपटारे में आयोग की सहायता के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी ज़ोर दिया जाता है।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा

जुलाई, 2025 में, एनएचआरसी भारत सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों का दौरा किया, तथा आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य सामुदायिक कर्मचारियों से बातचीत की तथा उनके कर्तव्यों के दौरान आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को समझा।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी आंध्र प्रदेश के तिरुपति, अन्नमय्या ज़िले में आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से बातचीत करते हुए

7 जुलाई, 2025 को, उन्होंने तेलंगाना के सिकंदराबाद-मुशीराबाद के 35 केंद्रों के आंगनवाड़ी शिक्षकों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। 19 जुलाई को, उन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति के धनलक्ष्मी नगर, ओटेरु और मल्लंगुंटा वार्डों में आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं और स्थानीय वेलुगु समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत की।

आंगनवाड़ी शिक्षकों और आशा कार्यकर्ताओं ने भी समान चिंताएँ व्यक्त कीं, जिनमें काम का अत्यधिक बोझ, अपर्याप्त पारिश्रमिक, कमज़ोर बुनियादी ढाँचा, मान्यता का अभाव और पर्याप्त संसाधनों या सहायता के बिना काम करना शामिल है, जिससे लोगों की प्रभावी सेवा करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। शिक्षकों ने बकाया किराए, कर्मचारियों की कमी के कारण अत्यधिक एक साथ कई काम करने और अनियमित मानदेय पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित रहने, पुराने स्मार्टफोन, आपूर्ति में देरी और प्रशिक्षण केंद्रों के बंद होने की बात भी कही।

अन्य घटना स्थल दौरे

11 जुलाई, 2025 को, श्रीमती विजया भारती सयानी ने सिकंदराबाद के अलवाल स्थित माचा बोलराम स्थित एक कब्रिस्तान का दौरा किया। वहाँ कचरा डाले जाने की शिकायतों के बाद, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही थीं और पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत इसे साफ़ करने के निर्देश दिए।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी सिकंदराबाद के अलवाल स्थित मच्छा बोलारम में कब्रिस्तान पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए

24 जुलाई, 2025 को, उन्होंने तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में स्थित कपरा झील का भी दौरा किया और उसके जीर्णोद्धार की प्रगति का जायजा लिया। 13 सितंबर, 2024 को अपने पिछले दौरे के दौरान, अधिकारियों को खतरनाक कचरे को हटाने के लिए कहा गया था। धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने मौके पर मौजूद नगर निगम, राजस्व और सिंचाई अधिकारियों से काम में तेजी लाने का आग्रह किया।

26 जुलाई, 2025 को, सांसद ने आंध्र प्रदेश के एस.एस. साईं जिले में स्थित श्री रंगनायक स्वामी झील का दौरा किया। यह दौरा एक शिकायत पर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई शिकायतों के बावजूद एक मछुआरा समाज द्वारा किसानों को 16 वर्षों से सिंचाई के लिए झील के पानी तक पहुँच से वंचित रखा गया है। उनकी उपस्थिति में और राजस्व, सिंचाई, मत्स्य पालन और पुलिस विभागों के अधिकारियों के साथ, दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक आपसी समझौते पर पहुँचकर प्रभावित किसानों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत प्रदान की।

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों की स्थिति की निगरानी के लिए विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, कारागारों, संप्रेक्षण गृहों और इसी तरह के अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं और आयोग के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें उनके अवलोकन और भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विशेष मॉनीटर की भी नियुक्ति की है, जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की निगरानी करने और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट आयोग को देने का कार्य सौंपा गया है। जुलाई, 2025 के दौरान विशेष मॉनीटर द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए मौके के दौरे का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है।

विशेष मॉनिटर

- 1 से 8 जुलाई, 2025 तक, एनएचआरसी, भारत विशेष मॉनिटर, श्री बालकृष्ण गोयल ने मानव अधिकार स्थिति का आकलन करने के लिए राजस्थान में वृद्धाश्रमों, बाल देखभाल संस्थानों, पर्यवेक्षण गृहों और आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के विशेष मॉनीटर, श्री बालकृष्ण गोयल राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण आंगनवाड़ी केंद्र में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए

- 4 से 9 जुलाई, 2025 तक, श्री प्रेम सिंह बिष्ट ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर/भोपाल जिले और आसपास के क्षेत्र का दौरा किया, ताकि व्यावसायिक गतिविधियों के कारण मानव अधिकारों के उल्लंघन की आशंका वाले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और व्यापार और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का पता लगाया जा सके।

- 7 से 10 जुलाई, 2025 तक, श्री राकेश अस्थाना ने मेघालय के शिलांग और उसके आसपास के नशामुक्ति केंद्रों का दौरा किया । उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उनके द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रमों तथा राज्य की नशा दुर्व्यापार विरोधी नीति के संबंध में चर्चा की।

- 21 से 26 जुलाई, 2025 तक, डॉ. प्रदीप्त कुमार नायक ने राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी (एसएलओ), गुजरात से मुलाकात की और राज्य में कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों के लिए मानव अधिकारों की स्थिति और कल्याणकारी उपायों की स्थिति का आकलन किया। इस संबंध में, उन्होंने राज्य के अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद और वडोदरा ज़िलों का भी दौरा किया और स्वास्थ्य एवं कुष्ठ रोग कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, आजीविका, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला स्तरीय अधिकारियों और अन्य विभागों, अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामान्य समुदायों और कुष्ठ कॉलोनियों के अधिकारियों से मुलाकात की।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत को मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन तथा उनके बारे में जागरूकता पैदा करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य से, यह अपनी पहुँच बढ़ाने और मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन इंटर्नशिप का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र बिना किसी यात्रा और दिल्ली में ठहरने के खर्च के इसमें शामिल हो सकें। इसके अतिरिक्त, आयोग सभी संस्थानों में मानव अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने मिशन के तहत विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक विशेष मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा हो।

भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए मानव अधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

17 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अत्याधुनिक स्तर पर मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और क्षमता निर्माण के लिए भारत की चल रही पहल, के एक भाग के रूप में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) द्वारा देहरादून में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परिवीक्षार्थियों के 2023 बैच के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी रामासुब्रमण्यन आईजीएनएफए, देहरादून में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 48ए के तहत, जबकि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 51ए (जी) के तहत प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य भी है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे।

मानव अधिकारों के विकास के ऐतिहासिक विकास और उनके आसपास के अंतर्राष्ट्रीय

▶ भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परिवीक्षाधीनों का एक वर्ग

परिप्रेक्ष्य का पता लगाते हुए, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने दुनिया भर में मानव अधिकारों की मान्यता और प्रवर्तन में तेज और स्थिर प्रगति पर प्रकाश डाला, जो साइरस के चार्टर, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स से लेकर अमेरिकी संविधान में 12 वें, 13 वें और 14 वें संशोधन, फ्रांसीसी क्रांति और 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तक है।

इस संदर्भ में, उन्होंने मानव अधिकारों को चार पीढ़ियों में वर्गीकृत करने पर भी विस्तार से चर्चा की: पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं; दूसरी पीढ़ी में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं; तीसरी पीढ़ी, जिसे अक्सर सामूहिक अधिकार कहा जाता है, जिसे 1992 के रियो घोषणापत्र के बाद प्रमुखता मिली; और चौथी पीढ़ी, जिसमें तेज़ी से हो रही तकनीकी प्रगति और 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के जवाब में उभरते अधिकार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल गोपनीयता और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में विकास से जटिल नैतिक चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। उनके भाषण के अंश इस न्यूज़लेटर के लेख अनुभाग में प्रकाशित किए गए हैं।

इससे पहले, अपने मुख्य भाषण में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के मज़बूत संस्थागत और संवैधानिक ढाँचे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की अवधारणा देश की सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों, जैसे सहानुभूति, करुणा, अहिंसा और मानवीय गरिमा में गहराई से निहित है। ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने उत्पीड़ित समुदायों को शरण देने की भारत की परंपरा का उल्लेख किया और महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसी हस्तियों को मानव अधिकारों के शुरुआती अग्रदूत बताया। लोगों के अधिकारों की रक्षा में मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों और अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जैसे न्यायिक साधनों की भूमिका को रेखांकित करते हुए, उन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में जनहित याचिका के महत्व पर ज़ोर दिया।

श्री लाल ने मानव अधिकार संरक्षण के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में एनएचआरसी, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से बताया, जो अन्य राष्ट्रीय आयोगों और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के साथ समन्वय भी करता है, अंग्रेजी के अलावा विभिन्न आधिकारिक भारतीय भाषाओं में सुलभ शिकायत तंत्र प्रदान करता है। आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के गंभीर मुद्दों का स्वत: संज्ञान लेता है, मानव अधिकार उल्लंघनों की निगरानी करता है और सलाह जारी करता है। यह विशेष प्रतिवेदकों, कोर समूहों की बैठकों, ओपन हाउस चर्चाओं और शिविर बैठकों के माध्यम से जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-स्तरीय कार्य में भी संलग्न है। अपने आउटरीच के एक हिस्से के रूप में, एनएचआरसी शोध अध्ययन और प्रशिक्षण का भी समर्थन करता है और इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने युवा आईएफएस अधिकारियों से वनों

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल आईजीएनएफए, देहरादून में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए

▶ श्री जगमोहन शर्मा, निदेशक, आईजीएनएफए, देहरादून भारतीय वन सेवा (आईएफएस) परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए

और वन्यजीवों के प्रबंधन में आदिवासी समुदायों और अन्य वनवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

इससे पहले, प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए, श्री. आईजीएनएफए के निदेशक जगमोहन शर्मा ने कहा कि इसका उद्देश्य मानव अधिकारों और सम्मान के सिद्धांतों को पर्यावरणीय शासन में एकीकृत करना और आईएफएस परिवीक्षार्थियों को देश भर के संबंधित प्रमुख विधायी और सर्वोत्तम प्रथाओं से लैस करना है। उन्होंने कहा कि भारत ने मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने देश में हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा में एनएचआरसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को 13 विषय-आधारित सत्रों में विभाजित किया गया था, जिन्हें श्री राजीव जैन, पूर्व एनएचआरसी सदस्य; श्री राजीव कुमार, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त; श्री जैसे प्रख्यात क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया था। प्रशांत कुमार, सदस्य, कैट श्रीनगर; डॉ. एसपी यादव, महानिदेशक, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस (आईबीसीए); श्री आरआर रश्मि, पूर्व विशेष सचिव, एमओईएफसीसी ; डॉ. सीएन पांडे, पूर्व पीसीसीएफ (एचओएफएफ), गुजरात; श्रीमती मीनाक्षी नेगी, पीसीसीएफ (एचओएफएफ), कर्नाटक; सुश्री सुनीता नारायण, महानिदेशक, विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई); श्री डी.के. निम, पूर्व संयुक्त सचिव, एनएचआरसी; और श्री फ्रैंकलिन एल. खोबुंग, संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संबोधित किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में हैदराबाद स्थित एसवीपीएनपीए के सहयोग से भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए एक ऐसा ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों को, सुषमा स्वराज राष्ट्रीय विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण के दौरान, मानवाधिकारों के विभिन्न आयामों के प्रति जागरूक करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने संबोधित किया। उन्होंने इस केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विदेशी राजनयिकों के एक समूह को भी संबोधित किया, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया।

ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम

11 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत का प्रतिष्ठित चार-सप्ताह का ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी) नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इंटर्नशिप के लिए देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से चुने गए 80 छात्रों को मानव अधिकार वकालत के विभिन्न पहलुओं और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने वाली आयोग की गतिविधियों से अवगत कराया गया।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने प्रशिक्षुओं से आग्रह किया कि वे भौतिक हितों की बजाय मानवीय जुड़ाव और दयालुता को प्राथमिकता दें, जिससे साझा मानवता से एकजुट समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने विविध पृष्ठभूमियों से आए प्रशिक्षुओं के बीच बने बंधनों को इस कार्यक्रम की असली संपत्ति बताया।

▶ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यम ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सच्ची सफलता करुणा दिखाकर लोगों के जीवन को छूने में निहित है। प्रशिक्षुओं के उज्ज्वल और सार्थक भविष्य की कामना करते हुए, उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे प्रतिदिन बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और अपने कौशल और मानवता के माध्यम से समाज में और अधिक सार्थक योगदान दें।

▶ प्रशिक्षुओं और एनएचआरसी अधिकारियों का एक वर्ग

इससे पहले, प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने अपने मुख्य भाषण में, सभी प्रयासों में नेकनीयती और ईमानदारी बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षुओं को न केवल अपने कार्यों पर, बल्कि उन चीज़ों पर भी ध्यानपूर्वक विचार करने की सलाह दी जिनसे उन्हें बचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नैतिक निर्णय, चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्होंने उन्हें जीवन में अनिश्चितता का सामना करते समय मूल मूल्यों और सिद्धांतों पर चिंतन करने और उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए

श्रीमती सैडिंगपुई छकछुआक, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, भारत ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की, कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और पुस्तक समीक्षा, समूह अनुसंधान परियोजना प्रस्तुति और भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की।

▶ एनएचआरसी की संयुक्त सचिव, श्रीमती सैडिंगपुई छाकछुआक इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

पूरे कार्यक्रम के दौरान, प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, वर्तमान और पूर्व केंद्रीय सचिवों, कई आयोगों और मंत्रालयों के अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों के निदेशकों और अन्य विशेषज्ञों सहित प्रतिष्ठित पेशेवरों के नेतृत्व में सत्रों में भाग लिया। इन सत्रों ने आयोग के कार्यों और मानव अधिकार उल्लंघनों से जुड़ी चुनौतियों के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान की।

तिहाड़ जेल, SHEOWS NGO, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसे प्रमुख संस्थानों का क्षेत्रीय दौरा भी शामिल था। इन दौरों से प्रशिक्षुओं को ज़मीनी हकीकत और मानव अधिकार वकालत के व्यावहारिक पहलुओं की प्रत्यक्ष समझ मिली।

इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आर.पी. मीणा, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह, संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह शामिल थे।

कार्यशालाएं

- 17 से 19 जुलाई, 2025 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के सहयोग से मानव अधिकारों पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई: असंगठित क्षेत्र और गिग श्रमिकों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका, कानून और मानव अधिकारों के बीच न्याय तक पहुँच, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन। श्री देवेश सक्सेना सलाहकार (अनुसंधान) ने संसाधन व्यक्तियों में से एक के रूप में आयोग का प्रतिनिधित्व किया। इस कार्यक्रम में 150 विधि छात्रों ने भाग लिया।

- 30 से 31 जुलाई, 2025 तक, एनएचआरसी, भारत ने केरल न्यायिक अकादमी के सहयोग से केरल न्यायिक अकादमी, अथानी, एर्नाकुलम, केरल में लगभग 50 सत्र न्यायाधीशों और न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों के लिए मानव अधिकारों पर 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। अपने उद्घाटन भाषण में, एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों को बनाए रखने में न्यायिक अधिकारियों की अपरिहार्य

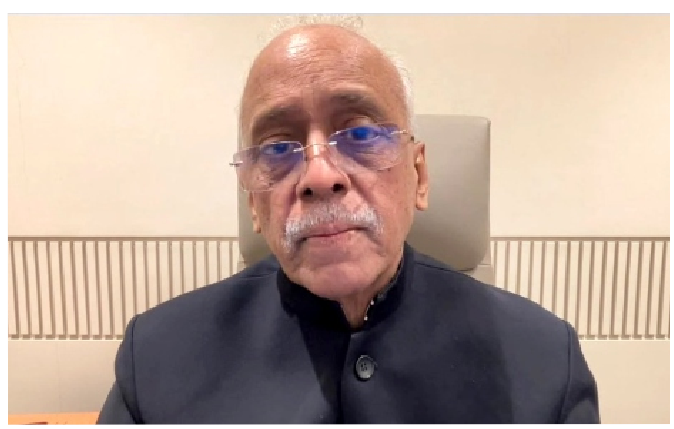

▶ केरल न्यायिक अकादमी, अथानी, एर्नाकुलम, केरल में मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है

भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उनका पवित्र कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की समय पर शारीरिक जांच के माध्यम से, ताकि न्याय और जवाबदेही की रक्षा हो सके। न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने उनसे संवैधानिक जनादेश और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एनएचआरसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया।

ज्ञानार्जन दौरे

- 21 जुलाई, 2025 को, तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित कारागार एवं सुधारात्मक प्रशासन अकादमी के 10 प्रशिक्षु कारागार अधिकारियों और झारखंड के रांची स्थित राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के 25 छात्रों और एक संकाय सदस्य के एक समूह ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मानव अधिकारों, अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के प्रसंस्करण और प्रबंधन, तथा उनकी जाँच के बारे में जानकारी दी।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत, मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण हेतु आयोग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के साथ संवाद करने और तेज़ी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी दौरा करते हैं।

- 9 जुलाई, 2025 को 'व्यापार और मानव अधिकार पर GANHRI कार्य समूह' ने एक ऑनलाइन लर्निंग कॉल का आयोजन किया। इस बैठक में एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

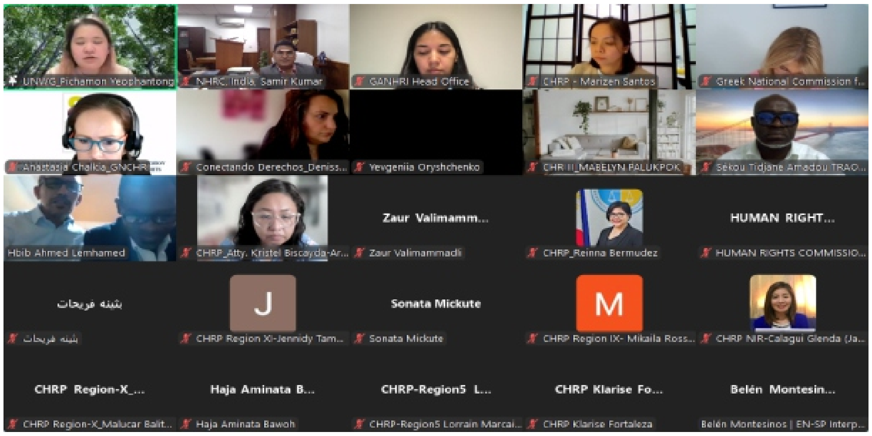

- 23 जुलाई, 2025 को संयुक्त राष्ट्र प्रवासन नेटवर्क द्वारा एक ऑनलाइन हितधारक परामर्श आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नेटवर्क कार्यकारी समिति द्वारा विकसित 'सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौते (जीसीएम)' के आह्वान पर महासचिव की चौथी द्विवार्षिक रिपोर्ट के लिए इनपुट एकत्र करना था। श्री इस बैठक में एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने आयोग का प्रतिनिधित्व किया।
- 29 जुलाई 2025 को, उन्होंने 'लैंगिक समानता, व्यवसाय और मानव अधिकार' पर GANHRI के लर्निंग कॉल में भी भाग लिया।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर विस्तृत होते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सदैव एक सतत प्रक्रिया है। भारत में, जनता के मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा करके उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के अलावा, विधायिका, न्यायपालिका, एक सक्रिय मीडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसी संस्थाएँ भी मौजूद हैं, साथ ही अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष भी हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित अधिकारों और कल्याणकारी उपायों के प्रहरी के रूप में कार्यरत हैं। इस स्तंभ का उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों पर प्रकाश डालना है।

अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

अरुणाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एपीएसएचआरसी) ने 8 से 18 जुलाई, 2025 तक अपना पहला इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जीरो, लेखी और गुवाहाटी के संस्थानों के आठ छात्रों ने भाग लिया। इसमें विशेषज्ञ सत्र, विभागीय अनुभव और मानव अधिकारों के बारे में छात्रों की समझ को गहरा करने

▶ प्रशिक्षुओं के साथ एपीएसएचआरसी अधिकारी

के लिए क्षेत्रीय दौरे शामिल थे। इसके उद्देश्यों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, वैधानिक मानव अधिकार कार्यों से परिचित कराना और उन्हें भविष्य के लोक नीति पेशेवरों के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित करना शामिल था। पुलिस थानों, गैर-सरकारी संगठनों और खेल अकादमियों के दौरों ने उनके अनुभव को समृद्ध किया। एपीएसएचआरसी अब से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करके, विस्तारित भागीदारी और सीखने के विषयगत क्षेत्रों के साथ, इसे संस्थागत रूप देने की योजना बना रहा है।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग (टीजीएसएचआरसी), अध्यक्ष, न्यायमूर्ति (डॉ.) अख्तर शमीम के नेतृत्व में जुलाई, 2025 के दौरान राज्य में मानव अधिकार उल्लंघनों से निपटने के लिए कई गतिविधियाँ शुरू कीं। चौटुप्पल सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ एक मानव अधिकार जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा, टीजीएसएचआरसी ने एक्सपायर हो चुके हेपेटाइटिस-बी के टीकों के पीड़ितों को राहत के रूप में 1.25 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया। इसने आदिवासी कल्याण विभाग के छात्रावास और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लंबित वेतन देने का निर्देश दिया और दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। इसने राज्य के डीजीपी को पुलिस कदाचार को रोकने और एक अनधिकृत कैंटीन से पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करने का भी निर्देश दिया। इसने संबंधित राज्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि छात्रों के मूल प्रमाण पत्र रोके रखने वाले कॉलेज बिना कोई शुल्क लिए उन्हें वापस कर दें।

पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (यूटी) मानव अधिकार आयोग

28 जून, 2025 को पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानव अधिकार आयोग (पीएसएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने केंद्रीय जेल, कपूरथला का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों से बातचीत कर उनकी शिकायतों को समझा, भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। जेल में 4616 कैदी थे, जिनमें 13 विदेशी नागरिक और 5 नाबालिग बच्चे अपनी माताओं के साथ रह रहे थे। आयोग ने जेल परिसर में बफर ज़ोन, नशामुक्ति केंद्र, सीसीटीवी सुविधाओं आदि जैसे सुधारों की सिफ़ारिश की।

▶ पीएसएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश पंजाब की कपूरथला जेल में कैदियों से बातचीत करते हुए

पीएसएचआरसी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह का भी अपने नए सदस्य के रूप में स्वागत किया। जुलाई में, आयोग ने भारत भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 90 से अधिक प्रशिक्षुओं के साथ एक अर्धवार्षिक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किया। आयोग ने अपनी प्रमुख आउटरीच पहल, 'ईच वन टीच टेन' को जारी रखा, जो प्रत्येक प्रशिक्षु को कम से कम दस व्यक्तियों को मानव अधिकारों और आयोग के अधिदेश के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, 24 जुलाई, 2025 को, दयानंद पब्लिक स्कूल के 12 छात्रों ने पीएसएचआरसी का दौरा किया और मानव अधिकार वकालत और उसमें आयोग की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

4 जुलाई, 2025 को हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (एचएसएचआरसी) न्यायमूर्ति ललित के नेतृत्व में कैदियों के कल्याण की समीक्षा के लिए यमुनानगर जिला जेल का दौरा किया। उन्होंने महिला कैदियों के लिए नियमित मानसिक और स्त्री रोग संबंधी देखभाल पर ज़ोर दिया और बाल देखभाल सुविधाओं तथा कैदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जाँच की। एचएसएचआरसी ने धन की उपलब्धता के बावजूद धामड़ गाँव में एक कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को देरी का कारण बताने और काम पूरा करने की समय-सीमा बताने का निर्देश दिया।

एक अन्य मामले में, एचएसएचआरसी ने एक विकलांग व्यक्ति के हिरासती अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने एक दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत एक दावा, जिसे लिपिकीय त्रुटि के कारण खारिज कर दिया गया था, के उल्लंघन की भी जाँच की। आयोग ने मानव अधिकारों की रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को उनके लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाने के महत्व पर ज़ोर दिया।

▶ हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा हरियाणा के यमुनानगर जिला जेल में कैदियों से बातचीत करते हुए

कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग

30 जुलाई 2025 को, कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में 'महिलाओं और बच्चों की अनैतिक दुर्व्यापार' पर एक बैठक बुलाई। बैठक में मानव दुर्व्यापार पर प्रकाश डाला गया, जो एक वैश्विक अपराध है और कमज़ोर तबके का शोषण करता है। चर्चा में दुर्व्यापार, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की दुर्व्यापार को रोकने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए सामूहिक प्रयासों को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हितधारकों ने दुर्व्यापार से निपटने के लिए रणनीतियों और उपायों पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य सहयोग बढ़ाना और पीड़ितों के लिए प्रभावी सुरक्षा और उपचार सुनिश्चित करना था।

▶ एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार पर केएसएचआरसी और केसीपीसीआर बैठक की अध्यक्षता करते हुए

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

16 जून से 15 जुलाई, 2025 तक देश के प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विधि संकाय के विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में एक ग्रामीण की मौत के बारे में मीडिया रिपोर्ट का भी स्वतः संज्ञान लिया । इस घटना ने पीड़ित के मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएँ जताईं। आयोग ने राज्य प्रशासन को पुलिस मुख्यालय स्तर से राज्य भर के सभी पुलिस अधिकारियों और जाँचकर्ताओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 179 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देने की सिफ़ारिश की, जिसमें कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति पर ज़ोर दिया गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

▶ एमपीएचआरसी अधिकारी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए

मानव अधिकार उल्लंघन के तीन मामलों में मृत पीड़ितों के परिजनों को 11.80 लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान सुनिश्चित किया। इंदौर और रीवा में हिरासत में हुई मौतों के दो पीड़ितों के परिवारों को राज्य द्वारा 5-5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की गई। चिकित्सा लापरवाही के कारण एक महिला और उसके नवजात शिशु की मृत्यु के मामले में 1.80 लाख रुपये की सहायता राशि की अनुशंसा की गई।

संक्षिप्त में खबर

- 2 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में भारतीय बहाईयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा में 'सतत विकास के लिए पर्यावरण प्रबंधन' विषय पर मुख्य भाषण दिया। श्रोताओं में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसके संविधान में निहित है और हमारी शासन व्यवस्था में परिलक्षित होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जो स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक विस्तृत है। हमारी भूमि का 23% भाग वनों से आच्छादित है।

  श्री लाल ने ज़ोर देकर कहा कि दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% होने के बावजूद, भारत ने स्वच्छ जल और बेहतर स्वच्छता तक पहुँच को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत पर्यावरण, जल, स्वच्छता और जलवायु को जीवन के अधिकार के मूल घटक मानता है, और सम्मान बनाए रखने के लिए परामर्श जारी करता है और सक्रिय कदम उठाता है।

  उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के माध्यम से वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया है। जमीनी स्तर पर, स्थिरता जीवन का एक तरीका है, कपास और गोबर का पुन: उपयोग और जल संरक्षण। 'स्वच्छ

भारत', 'जल' जैसे प्रमुख मिशन जीवन', 'अटल भुजल', और 'अमृत' 'सरोवर' समुदायों को संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए सशक्त बनाता है। 'उज्ज्वला' 'योजना' यह सुनिश्चित कर रही है कि हर घर तक स्वच्छ रसोई ईंधन पहुँचे। लेकिन असली बदलाव नागरिकों की सक्रियता में निहित है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पहाड़, नदियाँ और जंगल अक्षुण्ण रहें।

- 5 जुलाई, 2025 को, एनएचआरसी, भारत सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने हैदराबाद के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में 'छात्र प्रेरण सप्ताह' के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कानून की पढ़ाई को छात्रों को केवल एक पेशेवर अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे बेजुबानों को सशक्त बनाने, उनकी गरिमा बहाल करने और समाज में बदलाव लाने की ज़िम्मेदारी के रूप में भी देखना चाहिए। सदस्य ने कहा कि एनएचआरसी इंटर्नशिप और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि कानून के छात्रों को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने छात्रों से इन कार्यक्रमों में शामिल होने, कानूनी क्लीनिकों, इंटर्नशिप, मॉडल यूएन और जमीनी स्तर पर काम करने का आग्रह किया ताकि उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके और एक न्यायाधीश, वकील या कार्यकर्ता के रूप में वे अधिकारों और वास्तविकता के बीच एक सेतु के रूप में विकसित होकर एक न्यायसंगत, समावेशी और मानवीय समाज के निर्माण में योगदान दे सकें।

- 8 जुलाई, 2025 को, एनएचआरसी, भारत, प्रेजेंटिंग अधिकारी, श्री अंजनी अनुज ने आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू, राजस्थान में 'मानव अधिकार, यूडीएचआर, 1948: मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर दो सत्र लिए।

- 9 जुलाई, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एज केयर इंडिया द्वारा आयोजित पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन के महत्व पर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- 10 जुलाई, 2025 को, एनएचआरसी, भारत सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने धर्मपुरी क्षेत्र, हैदराबाद, तेलंगाना में गैर सरकारी संगठन भारतीयम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 'राष्ट्रीय साहित्य में मानव अधिकार' विषय पर बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय साहित्यिक परंपरा ' वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन को गहराई से प्रतिबिंबित करती है। ' कुटुम्बकम ' - यह अवधारणा कि पूरा विश्व एक परिवार है। यह शाश्वत मूल्य मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मज़बूत आधार है। सदस्य ने कहा कि रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्य मानव अधिकारों के मूल सिद्धांतों - न्याय, समानता और गरिमा - को मूर्त रूप देते हैं। उन्होंने बाल अधिकारों, लैंगिक न्याय आदि विषयों पर भी बात की। कार्यक्रम में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 10-11 जुलाई, 2025 को, सहायक निदेशक (हिंदी) श्रीमती अंजलि सकलानी और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती मीरा रानी ने हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया।

- 20 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने एसवीयू इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर में 'भाषा, भावना और भाग्य' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि भाषा हमारी संस्कृति, पहचान और ज्ञान से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भाषा हमारे राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सभी के लिए सुलभ बनाने और व्यक्तिगत विकास एवं अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। भाषा के माध्यम से हम समाज में समझ, सहयोग और साझा प्रगति का निर्माण करते हैं।

- 25 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मिज़ोरम में ' एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर प्रभाव' पर शोध अध्ययन पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने श्रीमती सैंडिंगपुई छकछुआक, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, और श्री प्रशांत कुमार मीणा, अपर आयुक्त, नेस्ट्स (राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति) की उपस्थिति में श्री भरत लाल ने रिपोर्ट को और मज़बूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने नीतिगत मंशा और ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन के बीच के अंतर का आकलन प्रासंगिक आँकड़ों और आँकड़ों के आधार पर करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, और शोध निष्कर्षों को अध्ययन के घोषित उद्देश्यों के और भी करीब लाने की बात कही।

- 25 जुलाई, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षडंगी ने भुवनेश्वर में अचीवर्स मीट 2025 में भाग लिया और शिक्षा में मानव अधिकारों के महत्व के बारे में बात की।

- 30 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में 'द वीक' द्वारा आयोजित 'विश्व स्तरीय छात्र: भारत में निर्मित' विषय पर आयोजित 'द वीक एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025' में 'मानव अधिकार के रूप में शिक्षा: मूल में नैतिकता' विषय पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए सम्मान, समानता और न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए चरित्र, व्यवहार और जिम्मेदारी की भावना को आकार देने के बारे में भी है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा, नैतिकता और मूल्यों की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं में निहित है, जो जिम्मेदार, दयालु नागरिकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे सभ्यतागत मूल्य संकट के समय में शक्ति का स्रोत हैं और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि संगठनों की दीर्घकालिक सफलता नैतिक नेतृत्व पर निर्भर करती है और नैतिकता और मूल्यों पर किसी भी पाठ्यक्रम में निम्नलिखित मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए: सम्मान, जवाबदेही, सेवा, ईमानदारी, न्याय और ट्रस्टीशिप।

- 31 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री आर. प्रसाद मीणा, आईपीएस (एएम: 93) आयोग से सेवानिवृत्त हुए। वे 18 दिसंबर, 2024 को प्रतिनियुक्ति पर आयोग में शामिल हुए। उनकी देखरेख में, अन्वेषण प्रभाग ने विभिन्न राज्यों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर चालीस घटनास्थल पर जाँच की और लगभग 1,500 मामलों का निपटारा किया। उनके सुझावों के आधार पर, आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के कई पीड़ितों को आर्थिक राहत देने की सिफ़ारिश की। उन्हें विदाई देते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और महासचिव ने आयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति में उनके कठिन परिश्रम और योगदान के प्रति समर्पण की सराहना की।

आगामी कार्यक्रम

1 अगस्त, 2025	एनएचआरसी, भारत 'भारत में वृद्धावस्था: उभरती वास्तविकताएं, विकसित प्रतिक्रियाएं' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन करेगा, जिसका आयोजन संकल्प फाउंडेशन द्वारा नीति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।
11 अगस्त, 2025 से	एनएचआरसी, भारत विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए दो सप्ताह की अल्पकालिक इंटर्नशिप शुरू करेगा।

जुलाई, 2025 में शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	8,912
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	4,365
आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या	35,320

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:
इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)
मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी
विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित।, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल। क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023
हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95